FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :–अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

प्रार्थीगण

1. मोहनसिंह पुत्र स्व. मूलसिंह
2. लालसिंह पुत्र श्री खीमसिंह
3. लादुसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह
4. अरविन्दसिंह पुत्र मगसिंह
5. भगवानसिंह पुत्र कीकसिंह
6. मूलसिंह पुत्र धूलसिंह जातिगण राजपुरोहित निवासी पराखिया तह. सुमेरपुर जिला पाली राज.
7. वजाराम पुत्र चतराराम जाति देवासी निवासी पराखिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

अप्रार्थीगण

1. स्व. गिरधारी लाल के विधिक वारिसान
   1.1 नरेश कुमार पुत्र स्व. गिरधारीलाल
   1.2दिनेश कुमार पुत्र स्व. गिरधारीलाल
   1.3 चन्दा कंवर पत्नी स्व. गिरधारीलाल
2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत नेतरा तह. सुमेरपुर जिला पाली राज.

किस्म मुकदमा : पंचायत निगरानी संख्या 140/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/316)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
11.03.2024	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/2024/83 दिनांक 05.02.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 22.04.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली	क्र: 423 दिनांक : 15/03/24 को दिनांक जारी।
22/4/24	पत्रावली पेशहुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल/ अदम तामिल प्राप्त; लौटे नहीं। पत्रावली बाबते तामिली रिपोर्ट इन्तजार होकर दिनांक 20/05/24 को पेश हो। अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)	
20/5/24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अनुपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पैरवी नहीं की जा रही है। प्रकरण 2011 से चल रहा है अभी तक तामिली नहीं हुई है प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण के नोटिस RC भी प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो। पंचायत का रिकार्ड लौटाया जावे। 20/5/24 अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली जिला-पाली	